राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग
महिला उत्पीड़न निवारण समिति

कमांक : प 8 (1) विधि/विर/प्र–2/13 **दिनांक : 20-2-19**

–: परिपत्र :–

विधि एवं विधिक कार्य विभाग की आज्ञा सं. प.26(74) न्याय/2012 दिनांक 30.05.18 के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय के विशाखा बनाम भारत संघ के मामले में प्रदत्त निदेशों एवं महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 एवं नियम, 2013 की पालना में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी शिकायतों के विचारण व निराकरण हेतु डॉ. लता श्रीमाली, विधि रचना अधिकारी, विधि (विधि रचना) विभाग की अध्यक्षता में एक स्थायी विभागीय समिति का पुनर्गठन किया गया है।

महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 2 (ढ) में उल्लिखित अवांछनीय कार्य या व्यवहार एवं राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 के नियम 25–कक में प्रतिषिद्ध आचरण से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत अध्यक्ष, महिला उत्पीड़न निवारण समिति, कमरा नं. 7328 के केबिन नं. 3, फूड बिल्डिंग, विधि (विधि रचना) विभाग में लिखित में या कार्यालय आई.पी. फोन नं. 24567 पर दर्ज की जा सकती है।

20-2-19
(डॉ. लता श्रीमाली)
अध्यक्ष
(महिला उत्पीड़न निवारण समिति)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, माननीय विधि मंत्री।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
3. निजी सचिव, विधि सचिव।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, (वादकरण) विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, विधि (संहिताकरण) विभाग।
6. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग।
7. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, विधि (प्रारूपण) विभाग।
8. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, विधि (विधि रचना) विभाग।
9. संयुक्त शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग।
10. विधि एवं विधिक कार्य विभाग के समस्त विभाग/अनुभाग/प्रकोष्ठ।
11. रक्षित पत्रावली।

20-2-19
अध्यक्ष
(महिला उत्पीड़न निवारण समिति)